

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

संख्या: 630/XIV-2009/SLSA/2020,

दिनांकित: 22 जुलाई, 2020

अधिसूचना


विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम सं० 39 सन् 1987) की धारा 11-क के साथ सपठित उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या: 1422/XIV-2009/SLSA/2015, दिनांकित 04 मार्च, 2015 में निर्दिष्ट जनपदवार तहसील विधिक सेवा समितियों (कुल 31) के अतिरिक्त, निम्न तालिका में वर्णित जनपदवार तहसीलों के लिये पृथक समिति का गठन करते हैं, जिसे सम्बन्धित तहसील की तहसील विधिक सेवा समिति कहा जायेगा :-

जनपदवार तहसील विधिक सेवा समितियों की सूची

क्र. सं.	जनपद	नाम तहसील विधिक सेवा समिति	पदाधिकारी
1.	देहरादून	तहसील विधिक सेवा समिति, डोईवाला।	1. ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी, डोईवाला – पदेन अध्यक्ष 2. कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, डोईवाला अथवा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार, डोईवाला, यथास्थिति – पदेन सचिव 3. ज्येष्ठतम राजपत्रित पुलिस अधिकारी, डोईवाला – पदेन सदस्य
2.	पिथौरागढ़	तहसील विधिक सेवा समिति, धारचूला।	1. ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी, धारचूला – पदेन अध्यक्ष 2. कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, धारचूला अथवा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार, धारचूला, यथास्थिति – पदेन सचिव 3. ज्येष्ठतम राजपत्रित पुलिस अधिकारी, धारचूला – पदेन सदस्य
3.	ऊधमसिंह नगर	तहसील विधिक सेवा समिति, बाजपुर।	1. ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी, बाजपुर – पदेन अध्यक्ष 2. कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, बाजपुर अथवा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार, बाजपुर, यथास्थिति – पदेन सचिव 3. ज्येष्ठतम राजपत्रित पुलिस अधिकारी, बाजपुर – पदेन सदस्य
		तहसील विधिक सेवा समिति, जसपुर।	1. ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी, जसपुर – पदेन अध्यक्ष 2. कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, जसपुर अथवा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार, जसपुर, यथास्थिति – पदेन सचिव 3. राजपत्रित पुलिस अधिकारी, जसपुर – पदेन सदस्य
		तहसील विधिक सेवा समिति, सितारगंज।	1. ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी, सितारगंज – पदेन अध्यक्ष 2. कनिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, सितारगंज अथवा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार, सितारगंज, यथास्थिति – पदेन सचिव 3. राजपत्रित पुलिस अधिकारी, सितारगंज – पदेन सदस्य

नोट: प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समिति उन समस्त तहसीलों का क्षेत्राधिकार रखेगी, जिसके सम्बन्ध में तहसील में स्थित बाह्य न्यायालय क्षेत्राधिकार रखता है।

आज्ञा से माननीय कार्यपालक अध्यक्ष,


(डॉ० जी० के० शर्मा) 22/07/2020
सदस्य-सचिव

संख्या: 631/XIV-2009/SLSA/2020,

दिनांकित: 22 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिबन्धक, माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कोलागढ़, देहरादून।
4. सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

5. सचिव, विधायी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य।
10. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड राज्य।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिसूचना को आगामी उत्तराखण्ड असाधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

22/11/2020
(मौ० यूसुफ)
विशेष कार्याधिकारी